

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- झालावाड़ में ग्राम पंचायत कनिष्ठ सहायक 2500/-रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 02 फरवरी, गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये पंकज गौतम ग्राम पंचायत कनिष्ठ सहायक को परिवादी से 2500/-रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई के नाम से मकान का पट्टा बनाने की एवज में पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दहीखेड़ा पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ द्वारा 2500/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव के सुपरवीजन तथा एसीबी की झालावाड़ इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज श्री रमेशचन्द्र आर्य पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये पंकज गौतम पुत्र मेघराज गौतम निवासी व्यासों का मोहल्ला दहीखेड़ा थाना पनवाड़ जिला झालावाड़, हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दहीखेड़ा पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ को परिवादी से 2500/-रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।